न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 21/2017

दायर दिनांक: 20.12.2017

निर्णय दिनांक 01.07.2019

—:अनवान:—

श्रीमती अणछी बाई पत्नी श्री खेम सिंह जी, पुत्री श्री खेमा उर्फ खिम सिंह जी, जाति खरवड़ राजपूत निवासी भागल खुर्द, निचली भागल, आत्मा, हाल निवासी मेहलारेट, सापोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

———अपीलांट

—:बनाम:—

1. श्रीमती वरदी बाई पुत्री श्री खिम सिंह जी, पत्नी श्री उदयसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी भागल खुर्द, निचली भांगल, आत्मा, हाल निवासी मेहलारेट, सापोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती भूरी बाई पुत्री श्री खिम सिंह जी, पत्नी भंवर सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी भागल खुर्द, निचली भागल, आत्मा, हाल निवासी मेहलारेट, सापोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती लेहरी बाई पुत्री श्री खिम सिंह जी, पत्नी हिम्मत सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी भागल खुर्द, निचली भागल, आत्मा, हाल निवासी मेहलारेट, सापोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती वरजु बाई पुत्री श्री खिम सिंह जी, पत्नी श्री गेहर सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी भागल खुर्द, निचली भागल, आत्मा, हाल निवासी मेहलारेट, सापोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती रूपी बाई पुत्री श्री खिम सिंह पतनी भूर सिंह जी, राजपूत मृतका के विधिक वारिसान—
   - 5/1 श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री भूर सिंह जी राजपूत
   - 5/2 श्री रोशन सिंह पिता श्री भूर सिंह जी राजपूत
   - 5/3 श्री संतोकी पुत्री श्री भूर सिंह जी, पत्नी लक्ष्मण सिंह जी राजपूत, निवासी सापोल, हाल निवासी तारोट, तहसील व जिला राजसमन्द
   - 5/4 श्रीमती वसनी बाई पुत्री श्री भूर सिंह पत्नी श्री गोप सिंह जी राजपूत, निवासी सापोल, तहसील राजसमन्द हाल निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
   - 5/5 श्रीमती सोहनी बाई पुत्री श्री भूर सिंह जी, पत्नी श्री गोप सिंह जी राजपूत, निवासी सापोल, हाल निवासी कड़ेचा का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द
6. श्रीमती सोहनी बाई पत्नी स्व. श्री गुलाब सिंह जी राजपूत, निवासी भागल खुर्द, आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द
7. देवा कुंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह राजपूत, ना. जरिये संरक्षक माता श्रीमती सोहनी बाई, निवासी भागल खुर्द, आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द
8. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री गुलाब सिंह जी राजपूत, निवासी भागल खुर्द, आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 960 फैसल दिनांक 06/05/2016 द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब राजसमन्द के विरूद्ध अपील

उपस्थितः–

1– श्री आर.एल. रावत, अधिवक्ता
2– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3– रेस्पोडेण्टगण संख्या 02 से 08 अनुपस्थित
4– श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 09

–::निर्णय::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम आत्मा, पटवार हल्का आत्मा, तहसील राजसमन्द में आराजी नम्बर 26 रकबा 5.07, आराजी नं. 1910 रकबा 00.10, आराजी नं. 1911 रकबा 00.05, आराजी नं. 2266 रकबा 00.01, आराजी नं. 2267 रकबा 00.02, आराजी नं. 2268 रकबा 00.07, आराजी नं. 2270 रकबा 4.18, आराजी नं. 2271 रकबा 00.01, आराजी नं0 2272 रकबा 00.03, आराजी नं. 2273 रकबा 01.08, आराजी नं. 2274 रकबा 00.01, आराजी नं. 2275 रकबा 01.10, आराजी नं. 2276 रकबा 00.14, आराजी नं. 2277 रकबा 00.11, आराजी नं. 2278 रकबा 00.07, आराजी नं. 2279 रकबा 00.10 व आराजी नं. 3371/2113 रकबा 00.02 कुल किता 17 कुल रकबा 16.17 बीघा भूमि स्थित है। इसके संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 960 दिनांक 06.05.2016 को मृतक गुलाब पिता खेमा एवं कुरी बेवा खेमा के विरासत की पुत्री अणछी बाई द्वारा अपील पेश कर विरासत से खुले नामान्तरण को चुनौती दी गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेण्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम आत्मा, पटवार हल्का आत्मा, तहसील राजसमन्द में स्थित कृषि भूमि के संबंध में गुलाब पिता खेमा एवं कुरी बेवा खेमा खरवड़ की मृत्यु के बाद विरासत से खोले गये नामान्तरकरण मे अपीलार्थी का नाम दर्ज न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 06, 07 व 08 के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि अपीलार्थी भी खेमसिंह एवं कुरी की पुत्री होने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी समान–समान हक अधिकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वारिसानों की सही जांच किये बगैर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया। आक्षेपित नामान्तरण विरासत के आधार पर खुला है जबकि कानूनन विरासत के नामान्तरण को खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 960 दिनांक 06.05.2016 को अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गुलाब सिंह पिता खेमा एवं कुरी बेवा खेमा खरवड़ के विधिक वारिसान के रूप में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खांरिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकः 06.05.2016 को स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरण संख्या 960 को इस आधार पर चुनोति दी गयीं हैं कि अपीलांट स्व0 श्री कुरी पत्नी खेमा की पुत्री होंने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी अपने स्व0 पिता/माता की भूमियों में समान–समान हक अधिकार है। आक्षेपित नामान्तरण संख्या 960 का अवलोकन किया गया। आक्षेपित नामान्तरण के अवलोकन से किसी भी लड़की के नाम नामान्तरण नहीं खुला। आक्षेपित नामान्तरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ। वारिसान की जांच नहीं की गई। बेटीया छुट गई। हल्का पटवारी के द्वारा नामान्तरण भरे जाने में दिनांक अंकित नहीं की गयी हैं तथा विरासत का सजरा भी नहीं बनाया गया तथा विरासत की भी कोई जांच नहीं की गयी हैं और सीधा ही नामान्तरण तहसीलदार से स्वीकृत करवा लिया गया है जो न्यायोचित नहीं हैं। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय हैं कि अपीलांट का नाम विरासत के नामान्तरण में छोड़े जाने का कोई आधार अर्थात अपीलांट की ओर से हकत्याग आदि किया हो ऐसा कोई प्रमाण भी पत्रावली पर रेस्पोण्डेंट द्वारा पेश नहीं किया गया हैं जबकि अपीलांर्थी भी हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण समान अधिकार रखती है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में स्व0 गुलाब एवं कुरी बेवा खेमा के सही वारिसान की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार सभी विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरण आदेश पारित करने का निर्णय दिया जाता हैं।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 960 दिनांकः 06.05.2016 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक गुलाब एवं कुरी बेवा खेमा के समस्त विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से सभी वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द